संख्या-191/2015/1435/71-1-2015-जी-200/2013

प्रेषक,

राजकुमार सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 01 दिसम्बर, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों के लिए क्रय किये जाने वाले उपकरणों के भुगतान हेतु पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2015/1550, दिनॉक 29-06-2015, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2015/1793, दिनॉक 10-07-2015, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/15/1849, दिनॉक 06-08-2015, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/15/1883, दिनॉक 17-08-2015 तथा पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2015/1906, दिनॉक 25-08-2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में उपकरणों के लिए विभिन्न शासनादेशों के द्वारा स्वीकृत की गयी कुल धनराशि रू0 1,47,42,60,000/- (रू0 एक अरब सैतालीस करोड़ बयालीस लाख साठ हजार मात्र) में से रू0 1,41,29,90,000/- (रू0 एक अरब इकतालिस करोड़ उन्नतीस लाख नब्बे हजार मात्र), जो शासनादेश संख्या-1179/71-1-2014-जी-200/2013, दिनॉक 31-03-2014 के द्वारा वित्त अधिकारी सी0एस0एम0 चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के नाम से खुले पी0एल0ए0 खाता संख्या-8448047 में रक्षित की गयी है, जिसमें से अवशेष धनराशि की उपयोगिता अवधि शासनादेश संख्या-165/2015/2151/71-1-15-जी-200/2013, दिनॉक 19-10-2015 द्वारा दिनॉक 31-12-2015 तक के लिए बढ़ायी गई है, में से रू0 32,60,63,065.00 (रू0 बत्तीस करोड़ साठ लाख तिरसठ हजार पैसठ मात्र) को संलग्न विवरणानुसार आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त धनराशि को पी0एल0ए0 से आहरित करने की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि उपकरणों के क्रय के संबंध में सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही नि यमानुसार भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण भुगतान की धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे चालान द्वारा राजकोष में जमा कराकर उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

3- शासनादेश संख्या-1179/71-1-2014-जी-200/2013, दिनॉक 31-03-2014 की अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पंजी0 संख्या-ई-3-1466/दस-2015, दिनॉक 26 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

**संलग्नक:-यथोक्त।**

भवदीय

( राजकुमार सिंह )
विशेष सचिव

संख्या:-191/2015/1435(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, झॉसी, आजमगढ़, जालौन तथा सहारनपुर।
3- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
4- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, झॉसी, आजमगढ़, जालौन तथा सहारनपुर।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, कोषागार लखनऊ।
7- कोषाधिकारी, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, झॉसी, आजमगढ़, जालौन तथा सहारनपुर।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।